रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –21 ● कानपुर 1 से 15 नवम्बर 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

अधिकारों की चाहत उत्साह पूर्वक करें

आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक बार फिर अधिकारों को लेकर घमासान है हर तरफ़ अधिकारों की ही चर्चा है, लोग इसी में व्यस्त हैं कि किसके पास अधिकार है और किसके पास नहीं है ?कभी कभी तो चर्चायें इतनी गरम हो जाती हैं जो कि स्थिति को भद्र से अभद्र तक ले जाती हैं।

प्रदेश का पूर्वांचल इलाका हो या पश्चिमी – हर तरफ़ अधिकारों को लेकर माहौल गरम है, हर संचालक अपने आप को अधिकार सम्पन्न बताता है और हमारा चिकित्सक भी इतना चतुर हो चुका है कि वह अपने आपसे ज़्यादा किसी को समझदार नहीं समझता, परिणाम यह है कि एक नई अराजकता जन्म ले रही है यह सारे के सारे दृश्य एक नये परिदृश्य की संरचना कर रहे हैं और जब इन सारे परिदृश्यों को मिलाकर आने वाले भविष्य की कल्पना की जाती है तो बहुत ज़्यादा आशा बलवती नहीं होती है !

समाज का नियम है कि वह परिवर्तन के साथ चलता है परिवर्तन प्रकृति करे तो कोई बात नहीं लेकिन जब परिवर्तन की दिशा अपने बदल दें तो मन सोचने को विवश हो जाता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी तक कार्य करने के लिए वातावरण अच्छा है शासकीय सोच भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ है सरकार का सहयोग और समर्थन लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथों को मिल रहा है, फिर ऐसी कौन सी नई स्थिति पैदा हो जाती है जो हमारे साथी विचलित हो जाते हैं और विचलन भी इस तरह की होती है जिससे कि वह कुछ ऐसा कर डालते हैं जिससे कि नई परिस्थितियां जन्म ले लेती हैं। आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण विषय है चिकित्सकों के पंजीयन का। प्रदेश सरकार ने पंजीयन के सम्बन्ध में एक समिति का का गठन कर दिया है जिसने अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है वर्तमान लागू व्यवस्था के अनुसार चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन करना होता है पहली व्यवस्था के अनुसार सभी अधिकारी चिकित्सकों का पंजीयन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में हुआ करता था इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक भी अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां प्रेषित कर देते थे, यह अलग बात है कि अलग–अलग ज़िलो में मुख्य चिकित्साधिकारी अलग– अलग रवैया अपनाते हैं लेकिन अगस्त 2016 में पंजीयन की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों का पंजीयन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी कार्यालय में होता है, होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन ज़िला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय में होता है। मात्र एलोपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में होता है।

> इच्छाओं की पूर्ति कार्य से ही सम्भव व्यर्थ के कार्यों मे ऊर्जा नष्ट न करें अधिकारों का प्रयोग करना समझें आर०टी०आई० से लाभ असम्भव सम्भावनायें प्रतिपल बदलती हैं कार्य को दें प्रमुखता

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई पृथक व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही कोई पंजीयन से सम्बन्धित स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि जब तक सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है अथवा किसी विभाग को स्पष्ट निर्देश नहीं दिये जाते हैं तब तक ज़िले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये यह इसलिए भी आवश्यक है कि जांच के समय कोई भी अधिकारी आप पर यह आरोप न लगा सके कि आपने प्रचलित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया है इसलिए आप चिकित्सा व्यवसाय के अधिकारी नहीं हैं, यदि आपने पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रखा है तो आप निर्भयता से जांच अधिकारी से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं और प्राप्त अधिकारों के बारे में उस अधिकारी को बता भी सकते है, जिससे कि आपकी अपनी प्रैक्टिस की वैधानिकता और अधिकारिता की प्रमाणिकता प्रस्तुत हो जाती है।

इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नेताओं के मध्य मतैक्यता नहीं है वह एक दूसरे के विरूद्ध टिप्पणी करने से भी बाज़ नहीं आते हैं इस तरह के कार्यों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और भ्रमित व्यक्ति कभी भी सकारात्मक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता, परिणाम यह होता है कि हमारे अधिकांश चिकित्सक अनिर्णय में पड़े रहते हैं अधिकार होते हुए भी अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कदाचित ऐसी स्थिति का यदि जन्म न हो तो ही अच्छा है और यदि परिस्थितियों वश जन्म हो ही जाता है तो उनका शीघ्र शमन होना भी अति आवश्यक है, शमन की आवश्यकता इसलिए है कारण जब कोई विषय बहुत लम्बे समय तक अनिर्णित रहता है तो लोगों का विश्वास उठने लगता है। डगमगाते विश्वास वाला व्यक्ति कभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं देता क्योंकि उसकी मनःस्थिति स्थिर ही नहीं रह पाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यदि बहुत दूर तक आगे ले जाना है तो यह सभी ज़िम्मेदारों का दायित्व है कि कोई ऐसी कार्ययोजना तैयार करें जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी समाज में फैली भ्रांतियां दूर हों। अधिकारिता और अनाधिकारिता पर चर्चायें की आवश्यकता न पड़े इसलिये कार्य करने की प्रवृत्ति का पुनर्जागरण करना होगा तभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक विकास सम्भव हो पायेगा। जब विकास की बात चलती है तो यह बात आती है कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास नहीं हो रहा है ?यदि विचार करें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के विकास का आंकलन उस चिकित्सा पद्धति के जनप्रयोग पर आधारित होता है दूसरा उसकी शिक्षण व्यवस्था पर, विकास में निरन्तरता बनी रहे इसके लिए अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य होते रहने चाहिये चूंकि अनुसंधान ही हमें नवीनता से परिचय कराता है। यदि हम आज से कुछ वर्षों पहले के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास पर दृष्टि डालें और देखें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कितनी प्रैक्टिस हो रही थी ? समाज में इसे कितना स्वीकारा जा रहा था ?तो इसके आंकलन का सीधा–साधा रास्ता है कि औषधियों की मांग और पूर्ति का अनुपात क्या है ?आज से 5 वर्ष पूर्व तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां चन्द लोग ही बनाते थे, मांग भी बहुत कम थी, इन पांच सालों के अन्दर पूरे देश में कई सैकड़ा दवा निर्माण इकाईयां अस्तित्व में आई हैं और हर कम्पनी दावा करती है कि उनकी कम्पनी लाखों का वार्षिक टर्न–ओवर करती है। नित नई कम्पनियां खुलती जा रही हैं यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, प्रैक्टिस भी बढ़ी है सीधा सा फण्डा है कि दवा खरीदी जाती है तो व्यवहार में भी लायी जाती होगी। यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता का स्पष्ट उदाहरण है, हाँ एक बात ज़रूर है कि आजकी पीढ़ीयों में टकराव के स्पष्ट दर्शन होते हैं जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वह परम्पराओं पर विश्वास करते हैं और मैटी के सिद्धान्तों से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं फलतः नई पीढ़ी के लोग कभी कभी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो कि नई व्यवस्थाओं को जन्म दे देते हैं।

अक्सर हमारे साथी यह प्रश्न करते हैं कि अब नया क्या हुआ ?यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर हर एक को स्वीकार नहीं होता, जीवन में नवीनता तो आती है लेकिन नया पन बार–बार नहीं होता इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो, उसका यथा सम्भव विकास हो, शासकीय संरक्षण प्राप्त हो, हमारे साथियों को भी शासकीय सेवाओं में अवसर मिले, यह सारी कि सारी कामनायें तभी फलीभूत होंगी जब पीढ़ियों के बीच वैचारिक समानता जन्म लेगी। अपने विचारों को रखना हर एक का अधिकार है लेकिन अपने ही विचारों को थोपना हर किसी को स्वीकार नहीं होता। नई पीढ़ी की जो बात पद्धति के लिए हितकारी हो, जिससे चिकित्सा पद्धति का भला हो, ऐसे विचारों को पुरानी पीढ़ी को स्वीकारने में गुरेज़ नहीं करना चाहिये इसके साथ–साथ नई पीढ़ी का दायित्व है कि वह इतिहास को न बदलें क्योंकि इतिहास हमारी धरोहर है, धरोहर को सजोना नई पीढ़ी का दायित्व है जब सबका लक्ष्य एक है तो आपसी कटुता के दर्शन क्यों होते हैं ?आज जो भी लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हैं उनकी यही इच्छा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक विकास हो, इसलिए हमें वही रास्ते ढूँढने होंगे जिसपर चल कर हम सब एक नये सुप्रभात का इंतजार करें। कभी भी सम्भावनायें खत्म नहीं होती हैं, कब क्या हो जाये यह हम सब नहीं जान सकते लेकिन इसी विचार में पड़े रहकर कार्य न करें, यह भी उचित नहीं है कि हमें जो अधिकार और जो अवसर प्राप्त हैं हमें उनका भरपूर उपयोग करना चाहिये और कार्य करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। प्रतीक्षा का समय अब ज़्यादा नहीं है जो वर्तमान दृश्य दिखायी दे रहा है वह अच्छाई की ओर संकेत दे रहा है इसलिए अनिर्णय की स्थिति से उबरकर सकारात्मक निर्णय लें और पूरे उत्साह और जोश के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में लग जाये इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबकी है इसपर किसी का विशेषाधिकार नहीं है यह अलग बात है कि आज कुछ संस्थाओं को यह अधिकार प्राप्त है लेकिन कार्य करने का अधिकार और कार्य करने के लिए सभी के लिए रास्ते खुले है अधिकार जताने की होड़ में जोश में आकर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे कि चिकित्सा पद्धति उससे जुड़े चिकित्सक और चिकित्सा पद्धति का लाभ ले रहे व्यक्तियों का नुकसान न हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी असीमित है इसको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता । अनुसंधान वह क्षेत्र है जिसपर कार्य करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को और अधिक जनोपयोगी बनाया जा सकता है इसलिए आईये हमसब मिलकर सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए कार्य करें।

निराशा क्यों

छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश की चर्चा इस कदर हो रही है मानो छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को निराशा ने जकड़ लिया हो वाट्सएप और फेसबुक पर नाना प्रकार के पोस्ट आ रहे हैं, हर पोस्ट में एक दूसरे से बढ़कर अपने ज्ञान का बखान होता है, बिन मांगे ही लोग सुझाव भी दे रहे हैं, वास्तव में याचियों ने जो याचिकायें योजित की उनका उद्देश्य एवं भावनायें क्या थीं ?वह वही जान सकते हैं किन्तु फेसबुक और वाट्सएप पर जो वाक्युद्ध चल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों में निराशा व्याप्त कर रहा है, चिकित्सकों एवं संस्थाओं को कितना ज्ञान है ! वह वही जान सकते हैं परन्तु याचिकाओं में जो प्रस्तुती की गयी निःसन्देह माननीय न्यायालय का निर्णय उसी के अनुरूप होगा, हम चाहते हैं कि लोग निराशा से बाहर निकलें और वास्तविकता समझें, प्रारम्भिक स्तर पर यह जान लें कि विश्व में चिकित्सा पद्धति का दर्जा एलोपैथी अर्थात Western Medical Science को है, इसके अतिरिक्त जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उन्हें वैकल्पिक एवं परम्परागत चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में रखा गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना के अनुसार किसी भी चिकित्सा पद्धति को फलने फूलने का पूरा अवसर है, जो उसके राज्य की जनता के लिए उपयोगी हो सकती हो, शर्त यह है कि वह सुरक्षित एवं प्रभावशाली हो,जहां तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात है इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक स्थापित चिकित्सा पद्धति है और निरन्तर विकास की ओर अग्रसर है, इससे जनमानस को पूरी तरह से लाभ प्राप्त हो रहा है, वर्तमान प्रकरण कहीं न कहीं छदमरूप से लाभ पाने तथा अपने आपको स्थापित करने का असफल प्रयास है।

वाट्सएप एवं फेसबुक पर इस तरह के दावे किये जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वह पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनाया था अब वहां ऐसी स्थिति क्यों आयी जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर पूर्ण प्रतिबन्ध जैसी स्थिति आ गयी, कानून बनाना और उन्हें समाप्त करना सरकारों का अधिकार होता है, कानून की समीक्षा करना माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कानून छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बनाया था वास्तव में वह कानून था या फिर कुछ और ! इस पर भी दृष्टि डालने की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ राज्य एक नया राज्य है जिसने अपने राज्य की जनता के लिए बहुत सारी योजनायें बनायी थीं जो जनता के हित में थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो व्यवस्था सरकार ने की थी उसकी सार्थकता समाप्त होने पर उस व्यवस्था को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया, सरकार क्योंकि नई थी इसलिए संसाधनों का अभाव था और सरकार चाहती थी कि उसके राज्य की जनता को समुचित सुविधायें प्राप्त हों इसलिए सरकार ने अनेकों ऐसे कार्यक्रम बनाये जिससे राज्य की जनता लाभान्वित हो सके, इसी कड़ी में राज्य की जनता को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कानून बनाया, जिसके द्वारा मात्र एक छोटी सी अधिसूचना से विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाती थी, नामचीन संस्थाओं एवं औद्योगिक घरानों ने बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी जिनकी संख्या लगभग 112 तक पहुंच गयी जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में जनपदों की संख्या 13/18 की रही होगी। विश्वविद्यालयों के गठन में राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से विश्वविद्यालय क्या महाविद्यालय भी स्थापित नहीं कर सकती थी सरकार की सोच यही थी कि यह विश्वविद्यालय न सही महाविद्यालय तो हो ही जायेंगे, राज्य सरकार की सोच पूर्णतयः जनहित में थी लेकिन कानून का आंशिक उल्लघन होने के कारण प्रोफेसर यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी विश्वविद्यालयों की अधिसूचना निरस्त करने का आदेश जारी कर दिये, फलस्वरुप सारे के सारे विश्वविद्यालय एक झटके में समाप्त हो गये

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में योजित याचिका समुचित ढंग से न लगने के कारण वर्तमान आदेश प्राप्त हुए हैं क्योंकि भारत सरकार ने लगातार यह कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान एवं विकास पर कोई रोक नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के अद्यतन आदेश भी योजित याचिकाओं की पृष्टिभूमि में ही जारी किये गये हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में कुछ भी कहने से पहले योजित याचिकाओं का भलीभांति अध्ययन करें।

अधूरी जानकारी से ऐसे ही निर्णय प्राप्त होंगे इसमें निराश होने की आवश्यकता कदापि नहीं है।

राज्य सरकार के सकारात्मक रूख को देखते हुए

बोर्ड ने मनोनीत किये प्रवक्ता

राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक सोच होने के कारण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार व प्रसार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रवक्ताओं का मनोनयन किया है, जो प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू करवाने तथा जरूरत मन्दों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने हेतु कार्य करेंगे।

डा0 आर0 के0 शर्मा–लखीमपुर मुख्य प्रवक्ता – B.E.H.M.U.P.

डा0 रामेश्याम रजक–हाथरस प्रवक्ता – B.E.H.M.U.P.

डा0 पी0 के0 मौर्या–जौनपुर संयोजक–चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान – B.E.H.M.U.P.

बोर्ड ने अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है, इसी के तहत प्रवक्ताओं का मनोनयन किया गया है, सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में निर्णय लेनी वाली है, सरकार द्वारा गठित कमेटी मीटिंगे करने लगी हैं, शीघ्र ही कोई सकारात्मक निर्णय निकलने वाला है।

विदित हो कि प्रदेश सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी किया है, इस कारण सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी जो भी निर्णय लिया जायेगा उसमें बोर्ड का विचार अवश्य लिया जायेगा।

यह भी सम्भव है कि प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड से सुझाव मांगे जा सकते हैं ऐसे में जो प्रवक्ता मनोनीत किये गये हैं उनका दायित्व है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं के बारे में जानें, चिकित्सक अपना दायित्व ठीक प्रकार से निभा रहे हैं या नहीं इसका भी ध्यान दें, जरूरतमन्दों को चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो रही है या नहीं, किस जनपद के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं और किस जनपद के अधिकारी असहयोग कर रहे हैं यह सब प्रवक्ताओं को समझने की आवश्यकता है।

बोर्ड द्वारा प्रवक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वह अपने–अपने कार्य में शीर्घ लग जायें और अपने मण्डलों/जनपदों की विस्तृत जानकारी से बोर्ड कार्यालय को अवगत करायें हमारा अतीत काफी अच्छा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में जब–जब हमारी परीक्षा ली गयी हम हर कसौटी पर खरे उतरे हैं आज से 65 वर्ष पूर्व जब प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नियमित करने का आश्वासन दिया था तब से लेकर आजतक हमारे चिकित्सक लगातार कार्य करते जा रहे हैं, मध्य के कालखण्ड में जो परेशनियां आयी हैं उनसे उबर कर हम बाहर आ चुके हैं अब हमारे सामने कार्य करने के पूरे अवसर हैं और हर चिकित्सक को इस अवसर का लाभ उठाते हुए ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ें और लोगों में चिकित्सा पद्धति के प्रति रूझान हो। प्रवक्ताओं को ज्ञात होना चाहिये कि आज का समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने का समय है और इस समय का हमने जितना अधिक सदुपयोग कर लिया वह भविष्य के लिए उतना ही लाभकारी होगा, प्रवक्ताओं को चिकित्सकों से बात करनी चाहिये लेकिन साथ–साथ यह भी उनको ध्यान रखना चाहिये कि वह चिकित्सकों को समझायें कि अधिकाधिक चिकित्सक अपने अधिकारों का प्रयोग करें, चूंकि आम जन सिर्फ आपकी योग्यता और क्षमताओं से लाभ उठाना चाहता है और आप जनसाधारण को जितना अधिक लाभ पहुचायेंगे उतनी ही आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी।

पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में तरह–तरह की बातें उठी जिससे कि आज भी जनमानस के मध्य हमारे लिए कई तरह की भ्रान्तियां हैं, इन भ्रान्तियों का निराकरण हम बातों से नहीं बल्कि कार्य करके दें, हमें अपने चिकित्सकों पर पूरा भरोसा है कि वे पूरी योग्यता तथा क्षमता के साथ अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करते हुए समाज को लाभान्वित करेंगे, चूंकि समाज वर्तमान में जिन्दा रहता है लेकिन हमें भूत से प्रेरणा लेकर भविष्य की नींव रखनी है यह कार्य कठिन अवश्य है लेकिन दुष्कर नहीं, बोर्ड के प्रवक्ता अपने दायित्वों का निर्वाहन करेंगे ऐसा विश्वास है।

डा0 नरेन्द्र भूषण निगम–हमीरपुर प्रवक्ता – B.E.H.M.U.P.

डा0 शिव कुमार पाल–फिरोजाबाद प्रवक्ता – B.E.H.M.U.P.

डा0 अजय सक्सेना–शाहजहांपुर प्रवक्ता – B.E.H.M.U.P.

डा0 प्रिंस श्रीवास्तव–महराजगंज प्रवक्ता – B.E.H.M.U.P.

प्रवक्ताओं को समझना है कि प्रतिस्पर्धा किसी अन्य चिकित्सा पद्धति से नहीं है बल्कि स्वयं से भी है और जब हम इस प्रतिस्पर्धा को जीत लेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी,मेरी दृष्टि में चिकित्सकों का दायित्व यह है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर पूरी क्षमता के साथ अपनी पद्धति का प्रयोग करते हुए रोगी को रोगमुक्त करें ऐसा करने से समाज में सम्मान के साथ–साथ चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता भी सिद्ध होती है

शेष पेज 3 पर

निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर सम्पन्न

बिजनौर–काउण्ट मैटी फाउन्डेशन के तत्वाधान में डा0 कुलबीर सिंह के सहयोग से 15 एच0 कॉम्प्लेक्स प्लाज़ा नगीना रोड में निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर सम्पन्न हुआ यह सूचना गजट को डा0 जुनेद अन्सारी ने दी। डा0 अन्सारी ने बताया कि शिविर प्रातः 10 बजे से सायंकाल तक चला जिसमें लगभग 476 मरीज़ों का परीक्षण किया गया एवं उन्हें आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क औषधियां भी उपलब्ध करायी गयीं, शिविर में बड़ी संख्या में आस–पास के ग्रामीण क्षेत्र की जन्ता विशेषतः वृद्ध एवं महिलाओं की संख्या अधिक थी इस शिविर मे डा0 मेघराज सिंह, डा0 एस0 के0 तेजपाल, डा0 दीपू, डा0 सोमवीर, डा0 ध्रुव, डा0 मो0 जुनेद अन्सारी नजीबाबाद तथा डा0 दिनेश कुमार जलालाबाद ने अपना चिकित्सकीय योगदान दिया, कु0 यासमीन, कु0 विनीता एवं श्रीमती रेनू ने सहायक के रुप में अपनी सेवायें दीं।

दिल्ली से पधारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रभारी महासचिव डा0 मो0 इदरीस खाँ ने उपस्थित जनसमूह को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुये कहा कि इस चिकित्सा पद्धति की औषधियां तत्काल गुणकारी एवं त्वरित गति से शरीर पर कार्य करने वाली हैं इन औषधियों का यदि नियमित सेवन चिकित्सकीय परामर्शानुसार किया जाये तो भयानक से भानक रोग से मुक्ति मिल सकती है, इसकी दवायें हर जगह उपलब्ध हैं बस आवश्यकता है मात्र एक योग्य इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक तक सम्पर्क में आने की।

कुछ लोगों ने डा0 खान से प्रश्न किया कि क्या इसके चिकित्सक दुलर्भ हैं ?डा0 खान ने बताया कि नहीं आप प्रयास करेंगे तो आपके मुहल्ले या गाँव में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक मिल जायेंगे। आप आपना इलाज आसानी से करा सकते हैं और अनपे रोग से छुटकारा भी पा सकते हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डा0 पी0 के0 दास ने भी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं रोगियों को सम्बोधित करते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को अपनाने पर ज़ोर दिया।

डा0 मो0 इदरीस खाँ– प्रभारी महासचिव इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, डा0 पी0 के0 दास– प्रभारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फाउण्डेशन, डा0 जुनेद अन्सारी– नजीबाबाद एवं साथ में अन्य चिकित्सक व सहयोगी। — छाया गजट

behm.up@rediffmail.com
Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.
Recognised by Government of U.P.
Approved by Directorate General of Medical & Health Services, U.P.

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

F.M.E.H. व **A.C.E.H.** पाठयक्रमों के संचालन हेतु निम्न जनपदों में **स्टडी सेन्टर्स** के स्थापनार्थ इच्छुक व्यक्तियों / संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करता है

इलाहाबाद, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ़्फ़र नगर, शामली, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, हरदोई,सीतापुर, फ़ैज़ाबाद, सुलतानपुर, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, बलिया, ग़ाज़ीपुर,वाराणासी,चन्दौली,भदोई, औरैया,फर्रुखाबाद एवं कन्नौज आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.behm.org.in (link Affiliation) से डाउनलोड कर सकते हैं।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Member of Board of Electro Homoeopathic	M.B.E.H.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	Three Years
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	Registered Practitioner Any Branch or Equivalent	1 Semester
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years

राज्य सरकार के सकारात्मक रूख को

..... पेज 2 से आगे

बोर्ड ने जो प्रवक्ता मनोनीत किये हैं वह बहुत जुझारू ,कर्मठ, अपने दायित्व को समझने वाले तथा दूरदर्शी है और वह अपने अपने क्षेत्र में व्यापक ज्ञान रखने वाले है वह निश्चित तौर पर बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत में अपना समुचित योगदान देंगे।

किसी भी संगठन को सुदृढ़ बनाने में उस संगठन के प्रवक्ताओं का योगदान बड़ा होता है क्योंकि संगठन की नीतियों एवं विचारों को समाज में प्रकट करना प्रवक्ताओं पर निर्भर करता है। जिस संगठन के प्रवक्ता व्यापक ज्ञान और मृदुभाषी है तथा अपनी बात सयंमित रूप से आकड़ों से साथ समाज में रखते है वह प्रवक्ता अधिक कामयाब होते है और वह अपने संगठन को अधिक लोकप्रिय बनाते है तथा अपने संगठन के विचारों को समाज के सामने ठीक तरह से रख पाते है।

प्रवक्ताओं को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को समझाना है कि वह अपनी क्षमता का परिचय दें और जागरूक होकर अधिकारपूर्वक कार्य करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को वही आचरण करना चाहिये जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक करते है अर्थात आपको भी अपने चिकित्सा व्यवसाय करने के सन्दर्भ की पूरी जानकारी जनपद के मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय को अवश्य प्रेषित करना चाहिये यह इसलिए आवश्यक है कि यदि आपने अपने पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आप प्रथम ही झोलाछाप की श्रेणी में आ जाते है इसलिए ऐसी स्थितियों को निर्मित न होने दें और पूरे अधिकार के साथ प्रैक्टिस करें।

प्रवक्ताओं का यह भी दायित्व है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को निराशा से निकाल कर आशा की तरफ ले जाये उनको समझाना है कि प्रदेश सरकार का रूख इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक है और किसी भी समय रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में निर्णय हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक अपना रजिस्ट्रेशन/ नवीनीकरण अपनी परिषद से कराकर मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय प्रैक्टिस करने की सूचना अवश्य दे दें।

बोर्ड द्वारा मनोनीत प्रवक्ताओं को बधाई एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें।

जागरुकता अभियान

का अगला चरण 5 नवम्बर से

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के मध्य व्याप्त निराशा को दूर करने के लिये विगत वर्ष बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने संयुक्त रुप से एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया था इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान, यह अभियान प्रदेश व्यापी स्तर पर चलाया गया, जगह-जगह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ बैठ कर उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास किया गया साथ ही साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने कौन-कौन एवं कब-कब आदेश जारी किये हैं, इन आदेशों की इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में उपयोगिता क्या है, तथा इन आदेशों के आने से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक भाईयों को क्या-क्या लाभ हो सकते हैं और इन लाभों का उपभोग करने के लिये चिकित्सकों का क्या दायित्व है ?

इन सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से चिकित्सकों के साथ चर्चा की गयी, उत्तर प्रदेश भारत के मानचित्र पर एक विशाल प्रदेश है इसलिये प्रथम चरण में हम इस आन्दोलन को प्रदेश व्यापी धार नहीं दे पाये, हर जनपद तक हमारी पहुँच नहीं हो पाई, इसका परिणाम यह हुआ कि चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान को जो सफलता मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली जिससे हमें हमारे अभीष्ठ की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और व्यवस्थाओं में अमूल-चूल परिवर्तन होते गये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की स्थिति में भी बहुत परिवर्तन हो गया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की स्थिति बदल गयी है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान का प्रथम चरण प्रारम्भ किया गया था उस समय केन्द्र द्वारा पारित क्लीनिकल स्टैबलिश्टमेन्ट एक्ट 2010 उत्तर प्रदेश में लागू होने के लिए प्रतीक्षा में था तत्समय किसी भी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी के लिए यह आवश्यक था कि वह चिकित्सा व्यवसाय करने के पहले अपने चिकित्सकीय अर्हताओं सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के पास प्रेषित करें या दूसरे शब्दों में चिकित्सक को प्रैक्टिस करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में करना आवश्यक था यद्यपि उस समय भी हमारे बहुत सारे साथियों ने पंजीयन के आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किये थे। जैसे ही इस बात की जानकारी हुई बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध कमेटी की एक बैठक बुलायी गयी और उस बैठक में पंजीयन के विषय में गम्भीरता से विचार किया गया, यह एक ऐसा विषय था जिसपर निर्णय लेना बहुत आवश्यक था क्योंकि तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुरूप कोई भी चिकित्सक यदि वैधानिक रूप से चिकित्सा व्यवसाय करता है तो उस चिकित्सक को अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहाँ प्रेषित करना ही पड़ेगा। उस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति काफी बदल चुकी थी लेकिन हमारे अधिकांश इलेक्ट्रो होम्योपैथ अभी भी वर्ष 2004 की मनोदशा से उबर नहीं पा रहे थे। निराशा इस कदर घर कर चुकी थी कि उनके अन्दर उत्साह लगभग समाप्त सा हो गया था। यद्यपि तब तक 5-5-2010 , 21 जून, 2011 तथा 4 जनवरी, 2012 जैसे आदेश केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पारित किये जा चुके थे लेकिन व्यापक प्रचार के अभाव में हमारे चिकित्सकों के बीच इन आदेशों का उतना प्रभाव नहीं पड़ सका जितना कि पड़ना चाहिये था।

यद्यपि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इन आदेशों के प्रचार और प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी प्रचार के जितने भी माध्यम थे हर माध्यमों का सहारा लेते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के मध्य इस बात का व्यापक प्रचार किया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में शासनादेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा, शिक्षा व अनुसधान की अनुमति प्रदान की गयी थी और यह तब तक चलता रहेगा जब तक इस चिकित्सा पद्धति को सरकार द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की जाती है अर्थात प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत है।

इस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को उन्हीं नियमों और कानूनों का पालन करना होगा जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए आवश्यक है, इन व्यवस्थाओं के तहत हर चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय हेतु जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारी के यहां पंजीयन का आवेदन करना होगा हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक वैधानिकता के साथ चिकित्सा व्यवसाय करे इसलिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने हर चिकित्सक तक यह बात पहुँचाने का प्रयास किया कि आप एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं। आपको वही आचरण करने होंगे जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा किये जाते हैं लेकिन समय का चक्र चलता है व्यवस्थाओं के परिवर्तन का परिणाम है कि प्रदेश में दर्जनों की संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं का संचालन हो रहा है, किन्तु प्रदेश में एकमात्र संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही है जिसे अधिकार पूर्वक कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए जिन संस्थाओं के पास कार्य करने के अधिकार नहीं हैं उन्होंने पंजीयन सम्बन्धी गम्भीर विषय का मज़ाक उड़ाया था।

हमने जहां चिकित्सकों को उनके अधिकार समझाने के प्रयास किये तथा पंजीयन की महत्ता और आवश्यकता के बारे में जागरूक किया वहीं हमारे साथियों ने चिकित्सकों को यह कहकर भ्रमित किया कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन सिर्फ मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को ही करना है, अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिली है इसलिए किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।

इन दो तरह की बातों से हमारे चिकित्सकों के मध्य अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गयी कुछ लोग वैधानिकता की बात मानने लगे कुछ लोग उहापोह में ही पड़े रहे।

इस स्थिति से निपटने के लिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान कार्यक्रम बनाया और प्रदेश व्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसका परिणाम यह हुआ कि चिकित्सकों के मध्य उत्साह का संचार हुआ। खोया हुआ विश्वास वापस आया लोगों के मन में यह भाव भी पैदा हुआ कि हम भी अधिकार प्राप्त हैं और हमें भी वही आचरण करने चाहिये जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को प्राप्त हैं।

ऐसा सोचने वालों की संख्या बहुत कम है लेकिन जो है, वह भी कम नहीं है इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तथा बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारपूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करे इन सभी बिन्दुओ पर पुर्नविचार किया गया और निर्णय लिया गया कि अभियान का अगला चरण 5 नवम्बर, 2018 से प्रारम्भ किया जाये।

निःशुल्क चिकित्सा शिविर अब पडरौना में

निःशुल्क चिकित्सा शिविरों की श्रंखला में अब पडरौना में कुशी नगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर कुशी नगर के प्रमुख व अज़हरी हॉस्पिटल के निदेशक डा0 आदिल एम0 खान के निर्देशन में दो दिवसीय महा स्वास्थ्य शिविर का आयेजन दिनांक 27 व 28 अक्टूबर, 2018 को किया गया है। शिविर में टी0बी0, दमा, पेट के समस्त रोग, स्त्री रोग,गुर्दा रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग आदि के मरीजो का निःशुल्क चिकित्सा की गयी शिविर में के मुख्य आकर्षण डा0 पी0 आर0 घूसिया एम0 डी0 ई0 एच0 , एक्स जूनियर वारन्ट ऑफिसर इण्डियन एयरफोर्स थे जिन्होंने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार के अनुरोध पर अपना बहुमूल्य समय पडरौना, कुशीनगर के शिविर में दिया, शिविर में डा0 पी0 शामेया, डा0 के0 शाहिदा, डा0 शाहिद अली निज़ामी डा0 सिराजुद्दीन ने अपना योगदान दिया, श्री सरताज आलम ने सहायक के रुप में अपना विशेष योगदान दिया।

दो दिवसीय शिविर का समापन 28 अक्टूबर को हो गया शिविर में काफी संख्या में रोगियो का इलाज किया गया विस्तुत रिपोर्ट अगले अंक में देखें।